

प्रेषक,

प्रमोद कुमार गुप्ता
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)
जालौन स्थान उरई।

सेवा में,

श्रीमान् महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

द्वारा:- माननीय जनपद न्यायाधीश,
जालौन स्थान उरई।

विषय: माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक सं0 9691/IV-F-82 (Pension)/admin.A दिनांकित 16 जुलाई 2024 के अनुपालन में शासनादेश सं0 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1) 2024, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1) 2024, दिनांकित 11 जुलाई 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन हेतु विकल्प चयन करने का प्रार्थनापत्र।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थी की नियुक्ति उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में उत्तर प्रदेश शासन के दिनांक 26.05.2006 के नियुक्ति आदेश (नियुक्ति अनुभाग-4, संख्या-2430/दो-4-06-32(1)/2001 टी.सी. 1) से हुई है। प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के नोटिफिकेशन नं0 1179/DR(S)/2006 दिनांकित 13.06.2006 के अनुक्रम में दिनांक 17.06.2006 को जनपद अम्बेडकर नगर स्थान अकबरपुर में अपर सिविल जज (जू0डि0) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। प्रार्थी की उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियुक्ति हेतु विज्ञापन 22-28 नवम्बर 2003 के रोजगार समाचार में प्रकाशित विज्ञापन सं0 A-2/E-1/2003 के अन्तर्गत हुई है। इस प्रकार प्रार्थी शासनादेश सं0 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301 (1) 2024, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1) 2024, दिनांकित 11 जुलाई 2024 के अनुक्रम में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित होने का पात्र है।

प्रार्थी शासनादेश सं0 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301 (1) 2024, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1) 2024, दिनांकित 11 जुलाई 2024 के अनुक्रम में, अपना विकल्प पत्र पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित करने हेतु प्रेषित कर रहा है। अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी को पुरानी पेंशन योजना के अन्तर्गत शामिल किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने की कृपा करें।

सादर।

दिनांक: 30.07.2024

भवदीय
Pranod Kumar Gupta
30/07/24
(प्रमोद कुमार गुप्ता)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)
जालौन स्थान उरई।
जे.ओ. कोड-यू.पी.6400

संलग्नक- शासनादेश सं0 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301 (1) 2024, दिनांक 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1) 2024, दिनांकित 11 जुलाई 2024 के अनुक्रम में पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने हेतु विकल्प पत्र

कार्यालय- जनपद न्यायाधीश जालौन स्थान उरई
पत्रांक.....1321/2...../उरई दिनांक.....30.07.24
अग्रसाक्षित

जनपद न्यायाधीश,
जालौन स्थान उरई

शासनादेश सं० 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)2024, दिनांक 28 जून, 2024 तथा संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1) 2024, दिनांक 11 जुलाई 2024 के अनुक्रम में पुरानी पेंशन योजना के चयन का विकल्प पत्र

1. नाम- PRAMOD KUMAR GUPTA
2. वर्तमान पदनाम- ADDITIONAL DISTRICT JUDGE/SPL. JUDGE (SC.ST ACT) JALAUN AT ORAI
3. वेतनमान- BASIC PAY-163030/- (AS ON 01-06-2024)
4. वर्तमान विभाग का नाम- NYAYA VIBHAG, GOVT. OF UP
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम-NYAYA VIBHAG, GOVT. OF UP
6. विज्ञप्ति की तिथि- 15 November 2003 (विज्ञापन संख्या- A-2/E-1/2003)
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि- 26 मई (उ०प्र० शासन नियुक्ति अनुभाग-4) संख्या-2430/दो-04-06-32(1)/2001 टी०सी०-1
8. योगदान की तिथि- 17-06-2006
9. जन्मतिथि- 10-02-1975
10. सेवानिवृत्ति की तिथि- 28-02-2035

मैं PRAMOD KUMAR GUPTA पुत्र SHRI VIJAY KUMAR GUPTA शासनादेश सं० 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)2024, दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना (√) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाये।

हस्ताक्षर.....
Pramod Kumar Gupta
30/07/24

नाम-PRAMOD KUMAR GUPTA
पदनाम-ADDITIONAL DISTRICT JUDGE
/ SPL. JUDGE (SC.ST ACT),
JALAUN AT ORAI, JO Code- UP6400

घोषणापत्र


मैं PRAMOD KUMAR GUPTA पदनाम ADDITIONAL DISTRICT JUDGE / SPL. JUDGE (SC.ST ACT), JALAUN AT ORAI यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम सं० 01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर.....
Pramod Kumar Gupta
30/07/24

नाम-PRAMOD KUMAR GUPTA
पदनाम-ADDITIONAL DISTRICT JUDGE
/ SPL. JUDGE (SC.ST ACT),
JALAUN AT ORAI, JO Code- UP6400

संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

PRAMOD KUMAR GUPTA पदनाम ADDITIONAL DISTRICT JUDGE/SPL JUDGE (SC.ST ACT), JALAUN AT ORAI को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना (√) में सम्मिलित किये जाने हेतु विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।


कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति
जनपद न्यायाधीश
जालौन स्थान उरई